

राजस्थान सरकार



## रजिस्ट्रीकरण प्रमाण - पत्र

क्रमांक.....438.....सीकर 2002-2003

यह प्रमाणित किया जाता है कि जमना बिट्टा समिति सीकर

पं० ए० सीकर जिला सीकर का राजस्थान  
संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम सं. 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण  
आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षर और कार्यालय की सील से आज दिनांक 22.02.2003 माह मार्च सन्  
दो हजार 2003 को सीकर में दिया गया।

रजिस्ट्रार संस्थाएं  
सीकर



जमना शिक्षा समिति

समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था

संघ विधान-पत्र

1. संस्था का नाम : इस संस्था का नाम जमना शिक्षा समिति  
 समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा
2. पंजीकृत कार्यालय: इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय रानी क  
 तथा कार्यक्षेत्र राजस्थान  
 तथा इसका कार्यक्षेत्र राजस्थान क्षेत्र तक सीमित होगा
3. संस्था के उद्देश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :-

1. विद्यालय एवं उच्च शिक्षा की स्थापना एवं संचालन।
2. शैक्षिक एवं राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण एवं विकास।
3. सांस्कृतिक, धार्मिक, एवं आर्थिक प्रवृत्तियों का विकास।
4. तकनीकी शिक्षण एवं शिक्षक, अध्यापक महाविद्यालय स्थापना।
5. प्रौढ़ महिला शिक्षा, महिला एवं पुरुषों के उद्योगों का प्रसारण।
6. अनु जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के उत्थान एवं विभिन्न शैक्षणिक व व्यावसायिक कार्यक्रम का संचालन करना।
7. नव साक्षरता एवं विद्यालय के कार्य करना।
8. वन्य जीवों का संरक्षण करना।
9. भू-जल संरक्षण एवं भू-जल प्रबंधन के कार्य करना।
10. सांस्कृतिक आयुष्य की स्थिति के अन्वेषण व सहायता करना।
11. महाभाती जैसे शोषण पर समझ-वृत्ति का नियंत्रण करने की व्यवस्था करना।
12. विज्ञान जन की सहायता करना।
13. छिड़ा एवं बाल विनाश संबंधी कार्यों का आयोजन संचालन करना।
14. ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी कार्य करना।
15. आपराधिक प्रवृत्ति व लालच व्याप्त अपराज्य शोषण व भ्रष्टाचार पर व परिसरों की प्रजातियों की भ्रष्टता के कारण भ्रष्टाचार व उनके उन्मूलन के लिए व्यवस्था।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष

मन्त्री

कोषाध्यक्ष

शिवरत्न  
सचिव  
जमना शिक्षा समिति

